न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 180/2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र श्री भोमा राम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. भोमाराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. हनुमान पुत्र पतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री राजेश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. पूजा पुत्री भोमा राम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. मुकेश कुमार पुत्र राजेश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 35.6510 है0 भूमि में से 3972/35651 हिस्सा भूमि वादी की दादी मृतका रामप्यारी पत्नी हनुमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी की दादी रामप्यारी पत्नी हनुमान का स्वर्गवास हो चुका है जिनके देहान्त के बाद वारिस हनुमान (पति), राजेश कुमार (पुत्र), भोमाराम (पुत्र) व शारदा (पुत्री) हुए एवं राजेश पुत्र हनुमान के कुल दो संतान मुकेश कुमार व सरोज है तथा भोमाराम पुत्र हनुमान के कुल दो संतान रमेश कुमार व पूजा है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके इसी खाता में अलग से भूमि दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा बनता है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके असी खाता में अलग से भूमि दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि में जो भी हक हिस्सा बनता है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा है वह परिवार के मौजज सदस्यों के सामने अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी का दादा है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 व 6 ने भी अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्यिों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 ब0 हि0 ब0 काबिज हैं। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा सांगठिया खाता संख्या 114/116, मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्यारी, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की दादी रामप्यारी के नाम दर्ज है रामप्यारी का देहान्त हो चुका है मुताबिक सजरा खानदार वादी व प्रतवादीगण संख्या 1 ता 7 उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर [illegible] लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है। प्रतिवादीगण [illegible] वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अथवा वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 35.6510 है0 भूमि में से 3972/35651 हिस्सा भूमि वादी की दादी मृतका रामप्यारी पत्नी हनुमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसानामा एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 35.6510 है0 भूमि में से 3972/35651 हिस्सा भूमि में मृतका रामप्यारी पत्नी हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 180/2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र श्री भोमा राम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. भोमाराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. हनुमान पुत्र पतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री राजेश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. पूजा पुत्री भोमा राम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. मुकेश कुमार पुत्र राजेश जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक – 12/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 114/116 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 35.6510 है0 भूमि में से 3972/35651 हिस्सा भूमि में मृतका रामप्यारी पत्नी हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:04 IST
Reason: SelfAttested